(31)

अनुलग्नक–(ख)

बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

अधिसूचना – 1339 दिनांक 25/08/08

संचिका–11/नि0 2–13/91 (अंश) भारत संविधान के अनुच्छेद 243 छ सपठित बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 73 एवं 146 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार जिला परिषद्–माध्यमिक एवं उच्चत्तर–माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2006 (अधिसूचना संख्या–1226, दिनांक 11.07.2006) में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित संशोधन नियमावली बनाते हैं :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंम्भ :–
   (i) यह नियमावली बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्ते) (संशोधन) नियमावली, 2008 कही जा सकेगी ।
   (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा. ।
   (iii) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

2. बिहार जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली 2006 के नियम 3 के खंड (i) का प्रतिस्थापन। उक्त नियमावली के नियम 3 का खंड (i) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–
   ''(i) माध्यमिक विद्यालय'' से अभिप्रेत है राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट विद्यालय जिसके अन्तर्गत माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक स्तर की शिक्षा की व्यवस्था है।''

3. बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्ते) नियमावली 2006 के नियम 3 में खण्ड (ix) के बाद नया खंड (x) जोड़ा जाना। उक्त नियमावली के नियम 3 में खंड (ix) के बाद निम्नलिखित नया खंड (x) जोड़ा जायेगा:–
   ''(X) ''पुस्तकालयाध्यक्ष'' से अभिप्रेत है, वैसा पुस्तकालयाध्यक्ष जो इस नियमावली के अधीन पुस्तकालय की व्यवस्था एवं पुस्तकों के रख–रखाव हेतु नियोजित किया गया हो।''

4. बिहार जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त्ते) नियमावली, 2006 के नियम 4 में उप नियम (क) के खंड (vi) के बाद नया खंड (vii) का जोड़ा जाना। उक्त नियमावली के नियम 4 के उपनियम (क) के खंड (vi) के बाद निम्नलिखित नया खंड (vii) जोड़ा जायेगा :–
   ''(vii) जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति :–
   (अ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक की डिग्री हो। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत

पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग के लिए न्यूनतम अपेक्षित अंक में पाँच प्रतिशत की छूट दी जायेगी ।

(ब) राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय द्वारा दी गयीं पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक की डिग्री।''

5. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 4 के खंड (ग) का प्रतिस्थापन। नियम 4 का (ग) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

''(ग) आयु :- जिस वर्ष नियोजन किया जा रहा हो उस वर्ष के पहली अगस्त को उम्मीदवार की अधिकतम आयु सीमा वहीं होगी जो राज्य सरकार (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाय । विकलांग उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट दी जायेगी ।

परन्तु शिक्षक की प्रशिक्षित श्रेणी के नियोजन के प्रथम नियोजन एवं द्वितीय में अधिकतम उम्र सीमा क्षान्त रहेगी ।''

6. उक्त नियमावली 2006 के नियम 6 (vi) क एवं ख का संशोधन

उक्त नियमावली के नियम 6 के (vi) में वाक्य ''उपरोक्त में अगर कोई अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के नहीं हो तो जिला कल्याण पदाधिकारी समिति के अतिरिक्त सदस्य होंगे'' विलोपित किया जायेगा और खंड (v) के रूप में निम्नलिखित जोड़ा जायेगा:-

''(v) उपर्युक्त में अगर कोई अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के नहीं हो तो जिला पदाधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसी पदाधिकारी को नामित करेंगे।''

7. (1) उक्त नियमावली, 2006 के नियम 8 के उप नियम (ii) के बाद उप नियम (iii) का जोड़ा जाना।

उक्त नियमावली के नियम 8 के उप नियम (ii) के बाद निम्नलिखित एक नया उप नियम (iii) जोड़ा जायेगा :-

''(iii) (क) पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति नियत वेतन पर की जाएगी ।

(ख) जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक पुस्तकालयाध्यक्ष के लिए नियत वेतन की राशि प्रति माह 6,000.00 रू0 होगी ।

(ग) प्रत्येक तीन वर्ष पर नियोजन कालावधि के बाद यथा निर्देशित मूल्यांकन के आधार पर मूल नियत वेतन में रू0 600.00 की वृद्धि की जायेगी।''

(2) नियम 8 के उपनियम (iii), (iv), (v) एवं (vi) क्रमशः उपनियम (iv), (v), (vi) एवं (vii) के रूप में पुनसंख्याकित समझे जायेंगे।